न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : महीपाल सिंह, आर.ए.एस
वाद पत्र संख्या : 272/2022
निर्णय दिनांक : 11.01.2024

1. भंवरलाल पुत्र कालू जाति जाट उम्र 64 वर्ष निवासी ढांणी कांकरियावाली, बासडी जोगियान, तहसील फागी, जिला जयपुर।
2. हनुमान पुत्र मोटा जाति जाट उम्र 49 वर्ष निवासी ढाणी कांकरियावाली, बासडी जोगियान, तहसील फागी, जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रतिवादी

वाद पत्र बाबत विनिमय एवं घोषणा अन्तर्गत धारा 48, 50, 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि हाल खाता संख्या 108 के हाल खसरा नम्बर 264/1 रकबा 0.11 है0, खसरा न० 265/1 रकबा 0.09 है०, खसरा न० 266/1 रकबा 0.16 है0, खसरा न० 267/1 रकबा 0.09 है०, खसरा न० 269/1 रकबा 0.05 है०, खसरा न० 282/1 रकबा 0.06 है०, खसरा न० 284/3 रकबा 0.03 है०, खसरा न० 285/3 रकबा 0.03 है०, खसरा नम्बर 293/4 रकबा 0.02 है0, खसरा न० 294/3 रकबा 0.03 है० कुल किता 10 कुल रकबा 0.67 है0 सम्पूर्ण वाके ग्राम भाटेड पटवार हल्का पुरूषोत्तमपुरा उर्फ दादिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर की खातेदारी वादी सख्या एक के नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। हाल खाता संख्या 221 के हाल खसरा नम्बर 261 रकबा 0.07 है0, खसरा न० 262 रकबा 0.12 है०, खसरा न० 263 रकबा 0.18 है०, खसरा न० 264 रकबा 0.13 है०, खसरा न० 265 रकबा 0.28 है०, खसरा न० 266/2 रकबा 0.35 है०, खसरा न0 267/2 रकबा 0.20 है०, खसरा नं0 288 रकबा 0.19 है०, खसरा नम्बर 283 रकबा 0.16 है0, खसरा न0 284/2 रकबा 0.14 है0 खसरा नम्बर 285/2 रकबा 0.41 है०, खसरा न० 293/2 रकबा 0.09 है०, खसरा न० 294/2 रकबा 0.09 है०, खसरा न० 756/1 रकबा 0.24 है०, खसरा न० 758 रकबा 0.23 है०, खसरा न0 761 रकबा 0.36 है०, खसरा न० 764 रकबा 0.54 है०, खसरा न० 771 रकबा 0.56 है० कुल किता 18 कुल रकबा 4.34 है० सम्पूर्ण वाके ग्राम भाटेड पटवार हल्का पुरूषोत्तमपुरा उर्फ दादिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर की खातेदारी वादी सख्या दो के नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। वाद पत्र की मद सख्या एक मे वर्णित वादी सख्या एक की कृषि भूमि खसरा न0 269/1 रकबा 0.05 है०, खसरा न० 282/1 रकबा 0.06 है0 में से 0.0575 है० (दक्षिण दिशा की तरफ से) कुल किता 2 कुल रकबा 0.1075 है0 वाके ग्राम भाटेड पटवार हल्का पुरूषोत्तमपुरा उर्फ

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahi
Date: 2024.02.07 15:53
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

दादिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर व वाद पत्र की चरण सख्या दो मे वर्णित वादी सख्या दो की कृषि भूमि खसरा नम्बर 285/2 रकबा 0.41 है0 मे से 0.1075 है0 (पश्चिम दिशा की तरफ से) कुल किता 1 कुल रकबा 0.1075 है० वाके ग्राम भाटेड पटवार हल्का पुरूषोत्तमपुरा उर्फ दादिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर को वादी सख्या एक व दो के हक मे पारस्परिक विनियम कर दी है। तथा मौके पर कब्जा वादी सख्या एक व दो ने एक दुसरे को सम्भलवां दिया है। वाद पत्र की मद सख्या एक व दो मे वर्णित कृषि भूमि एक ही जाति वर्ग के खातेदार तथा विनियम किये जाने काश्तकारों की भूमि इकजाई का लाभ कृषि कार्य के लिए हो सकेगा, उक्त समस्त भूमि की प्रकृति व मालियत एक समान है। इस प्रकार वादी संख्या एक व दो ने आपस मे अदल बदल की गई भूमि का कब्जा मौके अनुसार वास्तविक रूप से एक दुसरे को सम्भलवा दिया गया है, एक दुसरे को एक मात्र स्वामी व काबिज बना दिया गया है। वादी सख्या एक व दो के मध्य दिनांक 27.04.2022 को पारस्परिक विनियम पत्र (बदल पत्र) कृषि भूमि का दस्तावेज निष्पादित किया हुआ है। तथा उक्त निष्पादित दस्तावेज बदल पत्र कृषि भूमि जो कि कार्यालय उप पंजीयक सांगानेर प्रथम के यहां दिनांक 27.04.2022 को पुस्तक सख्या 1 जिल्द संख्या 1232 पृष्ठ सख्या 16 कम सख्या 202203024104794 पर पंजिबद्ध किया गया है तथा अतिरिक्त पुस्तक सख्या 1 जिल्द सख्या 4522 के पृष्ठ सख्या 450 से 457 पर चस्पा किया गया है। उपरोक्त वर्णित विनिमय अनुसार वादी सख्या एक व दो अपने अपने हक व अधिकार में आयी कृषि का बिना किसी दखल या आग्रह के एकमात्र स्वामी के रूप में उपयोग उपभोग कर रहे है। तथा काबिज होकर मालिक व स्वामी है। वादी सख्या एक व दो के द्वारा प्रतिवादी को उक्त पजीकृत बदल पत्र कृषि भूमि के अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल करने के लिए निवेदन किया परन्तु प्रतिवादी ने कहा कि आजकल कम्पयुटर पर नामान्तकरण भरकर स्वीकार किया जाता है परन्तु कम्पयुटर मे विनियम पत्र के आधार पर नामान्तकरण खोलने का विकल्प नही है इस कारण विनियम पत्र के आधार पर कम्पयुटर मे कोई विकल्प नही होने के कारण आपके विनियम पत्र के आधार पर नामान्तकरण नही खोला जा सकता है तथा प्रतिवादी ने नामान्तकरण खोलने के लिए दिनांक 05.12.2022 को स्पष्ट मना कर दिया और कहा कि आप इसके लिए श्रीमान न्यायालय मे विनियम पत्र के आधार पर घोषणा करवाकर लानी होगी। इस कारण वादीगण को यह वाद पत्र वास्ते विनियम व घोषणा पेश करना आवश्यक हुआ। वादीगण घोषणा करवाने का अधिकारी है कि वादी सख्या एक व दो के मध्य निष्पादित पजीकृत बदल पत्र कृषि भूमि दिनांक 27.04.2022 के अनुसार वादी सख्या एक को खसरा नम्बर 285/2 रकबा 0.41 है0 मे से 0. 1075 है० (पश्चिम दिशा की तरफ से) कुल किता 1 [illegible] 0. 1075 है0 व वादी सख्या दो को खसरा न० 269/1 रकबा 0.05 है०, [illegible] 282/1 रकबा 0.06 है0 में से 0.0575 है० (दक्षिण दिशा की तरफ से) कुल [illegible] 2 कुल रकबा 0.1075 है० वाके ग्राम भाटेड पटवार हल्का पुरूषोत्तमपुरा उर्फ [illegible]दिया तहसील सागानेर जिला जयपुर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे, तथा उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज कर अमल दरामद किया जावे। वाद कारण दिनांक 05.12.2022 को जब शुरू हुआ जब प्रतिवादी ने विनियम पत्र का कम्पयुटर में विकल्प

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2024.02.07 15:53:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

नहीं होने से विनिमय पत्र का नामान्तकरण खोलने से मना कर दिया तथा मान्य न्यायालय से घोषणा करवाने से शुरू होकर निरन्तर जारी है। अतः वादीगण को वाद विरूद्ध प्रतिवादी इस प्रकार डिक्री किया जावें कि वादी सख्या एक व दो के मध्य निष्पादित पंजीकृत बदल पत्र कृषि भूमि दिनांक 27.04.2022 के अनुसार वादी सख्या एक को खसरा नम्बर 285/2 रकबा 0.41 है0 मे से 01075 है० (पश्चिम दिशा की तरफ से) कुल किता 1 कुल रकबा 0.1075 है० व वादी सख्या दो को खसरा न० 269/1 रकबा 0.05 है० खसरा न० 282/1 रकबा 006 है0 मे से 0.0575 है0 (दक्षिण दिशा की तरफ से) कुल किता 2 कुल रकबा 0.1075 है० वाके ग्राम भाटेड पटवार हल्का पुरूषोत्तमपुरा उर्फ दादिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे, तथा उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज कर अमल दरामद किया जावे।

वादिया का वाद पत्र दर्ज किया जाकर दिनांक 27.12.2022 को प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये। दिनांक 10.01.2024 को प्रतिवादी की ओर से इस आशय का जवाब प्रस्तुत हुआ कि ग्राम भाटेड, आराजी खसरा नम्बर 264/1, 265/1, 266/1, 267/1, 269/1, 282/1, 284/3, 285/3, 293/4, 294/3 किता 10 रकबा 0.67 है0 की खातेदारी भंवरलाल पुत्र कालूराम हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा. ढाणी कांकरियावाली के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। ग्राम भाटेड, आराजी खसरा नम्बर 261, 262 वगै0 किता 18 रकबा 4.02 है0 की खातेदारी हनुमान पुत्र मोटा हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा. ढाणी कांकरियावाली के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। बिन्दू संख्या 3 लगायत 8 प्रार्थी द्वारा स्वयं सिद्ध किया जाना अपेक्षित है। उपरोक्तानुसार जवाब सरकार तैयार किया जाकर सेवामें सादर प्रेषित है। प्रकरण में कोई विरोधाभासी अभिवचन नही होने से तनकीयात कायम नहीं की गई। प्रकरण को बहस हेतु नियत किया गया।

वादीगण के अधिवक्ता ने बहस हेतु निवेदन किया, बहस वादीगण अधिवक्ता सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये वादी सख्या एक व दो के मध्य निष्पादित पंजीकृत बदल पत्र कृषि भूमि दिनांक 27.04.2022 के अनुसार वादी सख्या एक को खसरा नम्बर 285/2 रकबा 0.41 है0 मे से 0. 1075 है० (पश्चिम दिशा की तरफ से) कुल किता 1 कुल रकबा 0.1075 है0 व वादी सख्या दो को खसरा न० 269/1 रकबा 0.05 है०, खसरा न0 282/1 रकबा 0.06 है0 में से 0.0575 है० (दक्षिण दिशा की तरफ से) कुल किता 2 कुल रकबा 0.1075 है० वाके ग्राम भाटेड पटवार हल्का पुरूषोत्तमपुरा उर्फ दादिया तहसील सागानेर जिला जयपुर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे, तथा उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज कर अमल दरामद किया जावे।

हमने बहस वादीगण अधिवक्ता पर मनन किया तथा पत्रावली ... का अवलोकन किया गया। अवलोकन किये जाने पर स्पष्ट हुआ कि वादीगण द्वारा अपने वाद के साथ राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी व पंजीकृत विनिमय पत्र की प्रति प्रस्तुत की है, वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 269/1 रकबा 0.0500 है0, खसरा नम्बर 282/1 रकबा 0.0600 है0 का खातेदार काश्तकार भंवर लाल पुत्र कालू है, खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipa
Date: 2024.02.07 15:53:14
Reason: SelfAttested

285/2 रकबा 0.4100 है0 का खातेदार काश्तकार हनुमान पुत्र मोटा है। वादीगण के आपसी सहमति से उप–पंजीयक सांगानेर प्रथम के समक्ष उपस्थित होकर खसरा नम्बर 269/1, 282/1 व 285/2 का विनियम पत्र तस्दीक करवाया जाना व मौके पर कब्जा विनिमय किया जाना स्वीकार किया है, इन तथ्यों की पुष्टि वाद पत्र के साथ संलग्न पंजीकृत विनिमय पत्र के माध्यम से होती है, इस सम्बन्ध में प्रतिवादी की ओर कोई आपत्ति नही की गई है, ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया उचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय से डिक्री किया जाता है कि ग्राम भाटेड पटवार हल्का पुरूषोत्तमपुरा उर्फ दादिया तहसील सागानेर जिला जयपुर में स्थित भूमि में वादी सख्या एक को खसरा नम्बर 285/2 रकबा 0.41 है0 मे से 0. 1075 है0 (पश्चिम दिशा की तरफ से) कुल किता 1 कुल रकबा 0.1075 है0 व वादी सख्या दो को खसरा नम्बर 269/1 रकबा 0.05 है0, खसरा नम्बर 282/1 रकबा 0.06 है0 में से 0.0575 है0 (दक्षिण दिशा की तरफ से) कुल किता 2 कुल रकबा 0.1075 है0 का वादी संख्या एक व दो के मध्य निष्पादित पंजीकृत विनिमय पत्र दिनांक 27.04. 2022 के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामल किया जावें। इसी अनुरूप डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महीपाल सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर),
जयपुर।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2024.02.07 15:53:14 IST
Reason: SelfAttested